

सूचना

भोपाल, दिनांक 6-1-20

क्रमांक एफ2-5/2009/22/प-1

नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 69 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तद्विषय प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 को उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने के पश्चात् नियमों के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा विचारण के पश्चात् नियमों को अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा तथा प्रभावशील किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.—
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2010 हैं
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।
 - (3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. प्रयुक्ति.—

ये नियम मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन स्थापित ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत सचिव के स्वीकृत पदों को लागू होंगे।
3. परिभाषाएं.—
 - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994);
 - (ख) ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत;
 - (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
 - (घ) "ग्राम पंचायत सचिव" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा उनके नियंत्रण में आने वाली ग्राम पंचायतों में नियुक्त किया गया हो;
 - (ङ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/25-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
 - (च) "अर्हता" से अभिप्रेत है अनुसूची-दो में यथा विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत सचिव हेतु अर्हता;
 - (छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

"अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

- (झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ञ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
- (ट) "चयन समिति" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन गठित की गई चयन समिति;
- (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

वर्गीकरण तथा वेतनमान - ग्राम पंचायत सचिव का वेतनमान तथा वर्गीकरण ऐसे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट हैं। सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, इस संबंध में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना परिवर्तित नहीं की जाएगी।

5. आमेलन तथा चयन प्रक्रिया - (1) प्रत्येक जिले में ग्राम पंचायत सचिव का एक संवर्ग होगा। इन नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पश्चात् ग्राम पंचायत सचिव का आमेलन, चयन तथा नियुक्ति जिला स्तर पर निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :-

- (क) पूर्व में नियुक्त ऐसे ग्राम पंचायत सचिव को, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व से ही पद धारण किये हुये हैं, इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत सचिव के पद तथा वेतनमान पर आमेलित किया जाएगा;
- (ख) अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) के उपबंधों तथा पंचायतकर्मी स्कीम, 1995 के अनुसार तथा मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 1737 / 22 / पी.ओ. / पी.ए. / डी.सी. / 06 दिनांक 27 जनवरी, 2006 के उपबंधों के अनुपालन में पूर्व में नियुक्त किए गए ग्राम पंचायत सचिव एक बार आमेलन के माध्यम से निम्नानुसार आमेलित होंगे :-
- (एक) पूर्व में नियुक्त किए गए ऐसे ग्राम पंचायत सचिव, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व पद धारण कर रहे हैं, यदि आमेलन के समय उनके चयन तथा नियुक्ति पर कोई विवाद नहीं होता तो ग्राम पंचायत सचिव संवर्ग में आमेलित होंगे। आमेलन, नियमों के प्रारंभ होने से 2 माह के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता के अधीन गठित की गई चयन समिति द्वारा किये जाएंगे तथा रिक्त पदों की सूची एक बार आमेलन के अव्यवहित पश्चात् प्रकाशित की जाएगी।
- (दो) पूर्व में नियुक्त किए गए ऐसे ग्राम पंचायत सचिव को, जो नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व पद धारण कर रहे हों तथा जो न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराये गए हों, आमेलित नहीं किये जाएंगे।

- (तीन) पूर्व में नियुक्त किए गए ऐसे ग्राम पंचायत सचिव का, जो नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व पद धारण कर रहे हों तथा जिनके विरुद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित हों, उपरोक्त उपखण्ड (एक) के अनुसार विहित समय-सीमा के पश्चात् भी, यदि वह आरोपों से उन्मोचित हो जाता है तथा न्यायालय द्वारा दोषी नहीं पाया जाता है, तो आमेलन कर लिया जाएगा।
- (चार) पूर्व में नियुक्त किए गए ऐसे ग्राम पंचायत सचिव का, जो नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व पद धारण कर रहे हों तथा जिनके विरुद्ध समक्ष प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है या जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लंबित मामलों में दोषी पाये गए हों, आमेलन के लिए विचारण नहीं किया जाएगा।
- (पांच) पूर्व में नियुक्त किए गए ऐसे ग्राम पंचायत सचिव को, जो नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व पद धारण कर रहे हों तथा जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्पश्चात् दोषी नहीं पाया जाता है उक्त उपखण्ड (एक) में विहित समय सीमा के पश्चात् भी आमेलित किया जाएगा।
- (छह) पूर्व में नियुक्त किए गए ऐसे ग्राम पंचायत सचिव, जो नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व पद धारण कर रहे हों, अनुसूची दो में यथा उल्लिखित अर्हताओं के शिथिलीकरण में प्रथम आमेलन के समय पुष्टि की जाएगी। इस प्रकार आमेलित ग्राम पंचायत सचिव का नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर जिला संवर्ग में सम्यक नियुक्ति पर विचारण किया जाएगा।
- (सात) पूर्व में नियुक्त किए गए ऐसे ग्राम पंचायत सचिव, जो नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व पद धारण कर रहे हों तथा जो उपरोक्त प्रक्रिया के अनुरूप आमेलित किए गए हैं इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर कम्प्यूटर कार्य में कुशलताओं का अपेक्षित स्तर आवश्यक होना चाहिए। इस संबंध में अनुदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।
- (आठ) पूर्व में नियुक्त किए गए ऐसे ग्राम पंचायत सचिव, जो नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व पद धारण कर रहे हों तथा जो प्रक्रिया के अनुरूप आमेलित किए गए हैं, ग्राम पंचायत सचिव के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विहित समय सीमा के भीतर आज्ञापक प्रशिक्षण लेना होगा।
- (ग) उपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) में यथा उल्लिखित आमेलन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात्, रिक्त पद तथा भविष्य में होने वाले रिक्त पदों पर ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति निम्नानुसार होगी :
- (एक) चयन समिति, रिक्त पदों की प्रकाशित सूची तथा एक समय में आमेलन के पश्चात् निर्धारित पदों की संख्या के अनुरूप होगी।
- (दो) एक समय में आमेलन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात्, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रिक्त होने वाले पदों की सूची तैयार करेगा। यह प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को की जाएगी। प्रमाणित सूची जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (चयन समिति के चेयरमैन) को भेजी जाएगी। विवादित मामलों तथा पद रिक्त न होने संबंधी अभ्युक्ति फॉर्मेट में की जाएगी।

- (8) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, प्रतिवर्ष, 1 अप्रैल की स्थिति में जिले में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिव की वरिष्ठता सूची प्रकाशित करेंगे। समेकित वरिष्ठता सूची आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।
- (9) ग्राम पंचायत सचिव, एक मास की सूचना देने के पश्चात् या उसके बदले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को एक मास का वेतन जमा करने पर अपना पद त्याग सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सम्यक विचार करने के पश्चात् त्यागपत्र की स्वीकृति पर विनिश्चय लेगा।
- (10) इन नियमों के अधीन यथापूर्वोक्त आमेलन पर भर्ती या नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति नीचे उल्लिखित छुट्टी उपभोग करने के लिए पात्र होगा :

(क) आकस्मिक अवकाश .

ग्राम पंचायत सचिव किसी कलैण्डर वर्ष के दौरान तेरह दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। आकस्मिक अवकाश ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

(ख) अर्जित अवकाश .

प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव के अवकाश खाते में, अर्जित अवकाश पन्द्रह दिन का दो किस्तों में प्रत्येक पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को अग्रिम में जमा किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव के अवकाश खाते में अधिकतम 240 दिवस का अर्जित अवकाश जमा रहेगा। 240 दिवस से अधिक का अर्जित अवकाश स्वतः ही व्यपगत हो जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर अर्जित अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। अन्य प्रकार के अवकाश के संबंध में आवश्यक अनुदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।

(ग) अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी, जब कभी वह लोकहित में आवश्यक समझे, अवकाश अस्वीकार या रद्द कर सकेगा, किन्तु सक्षम प्राधिकारी को आवेदित अवकाश की प्रकृति परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(घ) सक्षम प्राधिकारी, ग्राम पंचायत के सचिव के आवेदन पर स्वीकृत अवकाश के प्रयत्न को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तन कर सकेगा।

(ङ) यदि ग्राम पंचायत सचिव स्वीकृत अवकाश अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अनुपस्थित रहता है, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश वृद्धि स्वीकृत नहीं की जाती है, तो कर्मचारी उक्त अवधि के दौरान वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

ग्राम पंचायत सचिव का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन विहित रीति में होगा।

यदि किसी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव का पद रिक्त होता है, तो अतिरिक्त प्रभार समीप की ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सचिव को पद भरे जाने तक दिया जा सकेगा। ऐसी कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के द्वारा जारी आदेश के पश्चात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अनुशंसा से की जाएगी। अतिरिक्त प्रभार असाधारण परिस्थितियों में के सिवाय 90 दिन से अधिक के लिए नहीं दिया जाएगा। किसी भी मामले में ग्राम पंचायत सचिव को एक से अधिक पंचायत का प्रभार नहीं दिया जाएगा।

(11)

(12)

(चार) एक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (विकास) तथा उसकी अनुपस्थिति में, फलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रथम श्रेणी अधिकारी

— सदस्य सचिव

अन्य सेवा शर्तें :

- (1) कोई व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया है इन नियमों के अधीन शासित होगा।
- (2) सेवा पुस्तिका.— सेवा पुस्तिका तथा व्यक्तिगत अभिलेख जिला पंचायत के कार्यालय में रखे जाएंगे तथा संधारित किए जाएंगे। व्यक्तिगत अभिलेख की नस्ती में निम्नलिखित जानकारीयां अंतर्विष्ट होंगी :—
 - (एक) संबंधित व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ जिसे संबंधित व्यक्ति की सेवा पुस्तिका में चस्पा किया जाएगा।
 - (दो) शैक्षणिक अर्हता, जन्म तिथि, जाति से संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यप्रतियां।
 - (तीन) परिवार के सदस्यों के नाम तथा उनके अन्य ब्यौरे।
 - (चार) विधिक वारिसों का नामनिर्देशन।
 - (पांच) संबंधित व्यक्ति द्वारा धारित अचल संपत्ति के ब्यौरे।
- (3) ग्राम पंचायत सचिव, मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम 1999 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेंगे तथा अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट कार्य का निष्पादन करेंगे।
- (4) राज्य सरकार, ग्राम पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। ग्राम पंचायत सचिव को नियुक्ति के पश्चात् विहित कालावधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। यदि ग्राम पंचायत सचिव दो वर्ष की विहित कालावधि के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी सेवाएं पर्यवसित की जा सकेंगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी आवश्यक प्रविशिष्ट्यां सेवा पुस्तिका में प्रविष्ट की जाएंगी।
- (5) ग्राम पंचायत सचिव की अधिवार्षिकी आयु साठ वर्ष होगी।
- (6) ग्राम पंचायत सचिव को यात्रा भत्ते, तथा अन्य भत्ते अनुज्ञेय होंगे। ग्राम पंचायत सचिव, जब वह सेवा में हो, मृत्यु की दशा में, परिवार के नामनिर्दिष्ट किए गए आश्रित सदस्य राज्य शासन द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार अनुग्रह राशि आदि के हकदार होंगे।
- (7) ग्राम पंचायत सचिव का, आयुक्त, पंचायत राज द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार जिले के भीतर प्रशासनिक आधार पर या उसके आवेदन पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत सचिव को, यदि आवश्यक हो, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की अनुशांसा पर, शिकायतों की उचित जांच करने के पश्चात् स्थानांतरेत किया जा सकेगा।

- (न) ग्राम पंचायत सचिव का चयन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। समिति, प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को रिक्त हुए समस्त पदों को चयन के लिए विचार में लेगी।
- (चार) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत सचिव के पद के चयन हेतु आवेदन, विहित प्रारूप में, राज्य स्तरीय कम से कम दो दैनिक समाचार पत्र, रोजगार समाचार के साप्ताहिक प्रकाशन, मासिक पत्रिका "पंचायिका" तथा संबंधित जिला पंचायत की वेबसाईट में विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित करेगा।
- (पांच) ग्राम पंचायत सचिव के पद हेतु अर्हताएं अनुसूची-दो में दर्शित हैं।
- (छह) नियुक्ति प्राधिकारी, आवेदनों के जांच के पश्चात्, प्रचलित नियमों के अनुसार अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गवार गुणागुण सूची तैयार करेगा। गुणागुण (मेरिट) सूची उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के कुल योग (एग्रीगेट) के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी।
- (सात) रिक्त पदों की संख्या के 25 प्रतिशत की योग्यता सूची के अनुसार एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। योग्यता सूची तथा प्रतीक्षा सूची, जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड और जिला पंचायत की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी। सूची अंतिम प्रकाशन होने की तारीख से विधिमान्य होगी तथा विज्ञापन के प्रकाशन होने के कलैण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य होगी।
- (आठ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विहित चयन मानदण्ड तथा प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करेगा।
- (नौ) चयनित ग्राम पंचायत सचिव के नाम, अधिनियम की धारा 69 (1) के अनुसार उसके कर्तव्य पर उपस्थित होने की तारीख से एक माह के भीतर अधिसूचित किये जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिव के पद की नियुक्ति/आमेलन के दौरान, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क. एफ-6-1-2002-ए.पी.-1 दिनांक 19 सितम्बर, 2002 के अधीन राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों के अनुरार आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति/आमेलन के लिए जांच तथा चयन समिति निम्नानुसार होगी

- | | | |
|-------|--|-----------|
| (एक) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत | — अध्यक्ष |
| (दो) | कलक्टर का प्रतिनिधि
(द्वितीय श्रेणी से अनिम्न
स्तर का राजपत्रित अधिकारी) | — सदस्य |
| (तीन) | कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट
अनुसूचित जाति या अनुसूचित
जनजाति से संबंधित द्वितीय
श्रेणी से अनिम्न स्तर का एक
राजपत्रित अधिकारी | — सदस्य |

// ६ //

अनुसूची - एक
(नियम 4 देखिए)

34

ग्राम पंचायत सचिव का वेतनमान तथा वर्गीकरण

पद का नाम जिसमें नियुक्ति की जाना है।	मानदेरा / वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	अभ्युक्तियां
(2)	(3)	(4)	(5)
ग्राम पंचायत सचिव	रुपये 1600/- नियत और रुपये 250 यात्रा भत्ता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष
ग्राम पंचायत सचिव	रुपये 2200-50-3000 -70-3700 तथा रुपये 250 नियत यात्रा भत्ता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर